रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 1985/फाल्गुन 27, 1906
No. 114] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 1985/PHALGUNA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1985

अधिसूचनाएं

सं. 98/85—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 284(अ) :—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 मार्च, 1985 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से देशी उपभोग के लिए निकासी किए गए तीस हजार रुपए मूल्य तक के कार्बनिक रसायन को, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 68 के अन्तर्गत आता है और जो अब वित्त विधेयक, 1985 के खंड 46 द्वारा, जिस खंड को अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के उपबंधों के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल प्राप्त है, उक्त अनुसूची की मद सं. 14कक के अधीन विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि—

(1) एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, या

(2) किसी कारखाने से किसी एक या विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से, देशी उपभोग के लिए 1 अप्रैल, 1984 से प्रारंभ होने वाली और 17 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निकासी किए गए सभी उत्पाद शुल्कय माल का कुल मूल्य चौबीस लाख रुपए से अधिक है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th March, 1985

NOTIFICATIONS

NO. 98/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 284(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts organic chemicals which were falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and which have now been specified under Item No. 14AAA of the said Schedule by clause 46 of the Finance Bill, 1985, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, upto a value not exceeding rupees thirty thousand cleared for home consumption during the period commencing on the 18th day of March, 1985 and ending on the 31st day of March, 1985, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,—

(i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or

(ii) from any factory, by or on behalf of one or manufacturers,

had exceeded rupees twenty-four lakhs during the period commencing on the 1st day of April, 1984 and ending with the 17th day of March, 1985.

सं. 99/85–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 285(अ) :—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 मार्च, 1985 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से देशी उपभोग के लिए निकासी किए गए तीस हजार रुपए मूल्य तक के यात्रा सामान को, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 68 के अन्तर्गत आता है और जो अब वित्त विधेयक, 1985 के खंड 46 द्वारा, जिस खंड को अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के उपबंधों के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल प्राप्त है, उक्त अनुसूची की मद सं. 48-क के अधीन विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि—

(1) एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, या

(2) किसी कारखाने से किसी एक या विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से, देशी उपभोग के लिए 1 अप्रैल, 1984 से प्रारंभ होने वाली और 17 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निकासी किए गए सभी उत्पाद शुल्कय माल का कुल मूल्य चौबीस लाख रुपए से अधिक है।

के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

NO. 99/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts travel goods which were falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and which have now been specified under Item No. 48A of the said Schedule by clause 46 of the Finance Bill, 1985, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, upto a value not exceeding rupees thirty thousand cleared for home consumption during the period commencing on the 18th day of March, 1985 and ending on the 31st day of March, 1985, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,—

(i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or

(ii) from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers,

had exceeded rupees twenty-four lakhs during the period commencing on the 1st day of April, 1984 and ending with the 17th day of March, 1985.

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985